संख्या-06/2019/3792/बीस-मु0रि0का0-19-05/2004

प्रेषक,

आकाश दीप,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सचिवालय प्रशासन,मुख्य प्रवेश पत्र कार्यालय लखनऊः दिनांक 31 दिसम्बर, 2019

विषयः-वर्ष 2020 के लिये निर्गत किये जाने वाले सचिवालय निजी प्रवेश पत्र एवं सचिवालय वाहन प्रवेश पत्रों से सम्बन्धित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मुख्य प्रवेश पत्र कार्यालय, सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत किये गये विभिन्न प्रकार के सचिवालय निजी प्रवेश पत्र एवं सचिवालय वाहन प्रवेश पत्रों की वैधता अवधि 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त हो रही है। वर्ष 2020 के लिये विभिन्न प्रकार के सचिवालय निजी प्रवेश पत्र एवं सचिवालय वाहन प्रवेश शासनादेश संख्या-376/बीस-मु0रि0का0-2018-01/2015, दिनांक 15.03.18 द्वारा निर्गत उ0प्र0 सचिवालय प्रवेश नीति-2018 तथा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने से सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप संख्या- 03/2019/335/बीस-मु0रि0का0-19-01/2015, दिनांक 28.03.2019 के प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये जायेंगे।

2- उक्त प्रवेश नीति तथा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.03.2019 ऑनलाइन शासनादेश की बेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in पर अपलोड है। उक्त प्रवेश नीति सचिवालय प्रशासन विभाग की बेबसाइट- http://sadup.gov.in पर भी अपलोड है।

3- उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.03.2019 में व्यवस्था निम्नवत हैः-

(1) सचिवालय में प्रवेश हेतु निजी प्रवेश पत्र एवं वाहन प्रवेश पत्र के प्रपत्र ऑनलाइन बेवसाइट www.passsad.up.gov.in पर उपलब्ध होंगे।

(2) आवेदक को उपरोक्त बेवसाइट पर जाकर आॅनलाइन अपना आवेदन पत्र दिये गये निर्देशों के अनुसार भरना होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय उसे अपनी फोटो तथा अन्य अपेक्षित अभिलेख, जो प्रपत्र में उल्लिखित हैं, निर्धारित विशिष्टयों के अनुसार अपलोड करने होंगे।

(3) उपरोक्तानुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद आवेदक अपने आवेदन प्रपत्र का एक प्रिंटआउट लेगा जिस पर नीति में वर्णित व्यवस्था के अनुसार संस्तुतिकर्ता अधिकारी की संस्तुति अंकित कराकर उसे संस्तुतिकर्ता अधिकारी के माध्यम से मुख्य प्रवेश पत्र कार्यालय में जमा करना होगा, जिसके आधार पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक को एक संदर्भ संख्या प्राप्त होगी, जिसके द्वारा वह अपने द्वारा आवेदित प्रवेश पत्र निर्गमन की प्रगति की जानकारी कर सकेगा।

4- अतः उक्त संदर्भ में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि कृपया वर्ष 2020 के लिये वॉछित विभिन्न प्रकार के सचिवालय निजी प्रवेश पत्र एवं सचिवालय वाहन प्रवेश पत्रों से सम्बन्धित प्रस्ताव उक्त प्रवेश नीति तथा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.03.2019 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण कराकर अधिष्ठान अनुभाग के माध्यम से मुख्य प्रवेश पत्र कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आकाश दीप)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-06/2019/3792(1)/बीस-मु0रि0का0-19-05/2004, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4- पटल कार्यालय, विधान सभा/विधान परिषद, सचिवालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के स्टाफ आफिसर तथा निजी सचिव।
6- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष/निगमों के प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश /मा0 कुलपतिगण उ0प्र0 के समस्त विश्वविद्यालय।
7- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0प्र0 शासन।
8- मा0 उप मुख्य मंत्रीगण/मा0 मंत्रीगण/मा0 राज्य मंत्रीगण (स्वतंत्र प्रभार)/मा0 राज्य मंत्रीगण के निजी सचिव।
9- मुख्य सुरक्षा अधिकारी, विधान भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
10- मुख्य सुरक्षा अधिकारी, मा0 मुख्य मंत्री उ0प्र0, लोक भवन लखनऊ।
11- तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 एवं तकनीकी सलाहकार, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- प्रभारी, चिकित्साधिकारी, ऐलोपैथिक/आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी, उत्तर प्रदेश सचिवालय, प्रबन्धक/प्रभारी, भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक व को-ऑपरेटिव बैंक, सचिवालय शाखा, चीफ पोस्टमास्टर जी0पी0ओ0, पोस्ट मास्टर सचिवालय डाकघर, अधिशाषी निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, लखनऊ, सचिवालय परिसर में अवस्थित समस्त जलपान गृहों के प्रबन्धक/डिपो इंचार्ज, अधिशाषी अभियंता, अनुरक्षण खण्ड सिविल/विद्युत, पुस्तकालयाध्यक्ष, सचिवालय पुस्तकालय एवं विधि परामर्शी पुस्तकालय।
13- समस्त शाखा अधिष्ठान, उ0प्र0 सचिवालय।
14- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(रचना गुप्ता)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।